दिनांक 23.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 27/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना जानसठ

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 22.07.2024 की रात्रि थाना जानसठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसायच तिराहा पर वाहन चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त फिरोज आलम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जानसठ पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, जनपद मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 33 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जानसठ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फिरोज आलम निवासी ग्राम व थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना ढेबरूआ

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 55 हजार भारतीय रूपये तथा 97 हजार नेपाली रूपये नगद**
- **04 मोबाइल फोन, पैन कार्ड, आधार कार्ड**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 23.07.2024 को थाना ढेबरूआ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चरगहवा नाला से पहले घरूआर डिहवा रोड बढ़नी से 04 अभियुक्तों 1—तबारक 2—सहजाद 3—नसीम 4—अमजद कमर को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 55 हजार भारतीय रूपये तथा 97 हजार नेपाली रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना ढेबरूआ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ढेबरूआ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये लूट की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना ढेबरूआ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—तबारक निवासी वार्ड नं0—03 लोहिया नगर थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।,

2—सहजाद निवासी दुधवनिया बुजुर्ग थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

3—नसीम निवासी सेमरा थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर।

4—अमजद कमर निवासी दुधवनिया बुजुर्ग थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1–लूट के 55 हजार भारतीय रूपये तथा 97 हजार नेपाली रूपये नगद।

2–04 मोबाइल फोन, पैन कार्ड, आधार कार्ड।

3–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना सफदरगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 23.07.2024 को थाना सफदरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तुरकानी मोड़ पर मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में सादाब घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये । घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के थाना सफदरगंज पर चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सफदरगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सादाब निवासी ग्राम सैदनपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद गोण्डा/थाना परसपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 22/23.07.2024 की रात्रि थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बहुरीगंज रोड के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रोहित उर्फ बाबा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना परसपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित उर्फ बाबा निवासी बलगरपुरवा नन्दौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद खीरी/थाना शारदानगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 482 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (ब्राउन शुगर) बरामद**

दिनॉकः 22.07.2024 की रात्रि थाना शारदानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शारदा बैराज के पास से 03 अभियुक्तों 1–साजिद 2–जावेद 3–साहिब अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 482 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (ब्राउन शुगर) बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना शारदानगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—साजिद निवासी कस्बा व थाना बछरायूँ जनपद अमरोहा।

2—जावेद निवासी रजैती थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

3—साहिब अली निवासी ललियाना थाना किठौर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 482 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (ब्राउन शुगर)।

- **जनपद महराजगंज/थाना कोल्हुई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 19—19 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महराजगंज द्वारा थाना कोल्हुई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/302/149/307/323/504/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—सुरेश 2—भूपेन्द्र 3—राजेन्द्र 4—योगेन्द्र उर्फ योगी 5—चिनका उर्फ रमेश 6—घनश्याम को आजीवन कारावास व 19—19 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद रामपुर/थाना बिलासपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 03 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना बिलासपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जयदीप को सश्रम आजीवन कारावास व 03 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद महराजगंज/थाना नौतनवां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 08 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महराजगंज द्वारा थाना नौतनवां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/376ए,बी भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 08 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना जलेसर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जलेसर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त तेजपाल को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना–महिला थाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना महिला थाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 343/363/366/368 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ राजू को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना सिंधौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना सिंधौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/34/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नन्हे 2–बद्री प्रसाद 3–विजय को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना अवागढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना अवागढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 333/353/224/511 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नीटू उर्फ निर्मल को 07 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।